RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JAIPUR

Rajasthan High Court Campus, Jaipur Bench, Jaipur

(Phone : 0141-2227481, 2227555, Fax: 2227602, Help Line 2385877)

क्रमांकः रालसा / स्था./लोअमा/2014/61 दिनांक 28.2.2014

कार्यालय आदेश

लोक अदालत के अतिरिक्त कार्य के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.8(1) विधि-2/90, दिनांक 23.02.1991 एवं इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र क्रमांकः रालसा/स्था/लोअमा/2012/19826-60, दिनांक 14.3.2012 की पालना में देय मानदेय को जिसे कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक रालसा/संस्था/लोअमा/2014/27879-27913, दिनांक 15.2.14 द्वारा निलंबन में रखा गया था, संबंधित निलंबन आदेश को निम्नांकित निर्देशान्तर्गत, प्रत्याहरित किया जाता है:-

1. न्यायिक कार्य के अतिरिक्त किये जाने वाले लोक अदालत के कार्य के लिए प्रतिमाह अधिकतम दो दिन के मूल वेतन के तुल्य मानदेय देय होगा।

2. मानदेय स्वीकृति आदेश उन्हीं कर्मचारीगण के पक्ष में संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पृथक से जारी किया जावेगा जिनके द्वारा अपने नियमित पदीय कार्यो के अतिरिक्त लोक अदालत का कार्य संपादित किया गया हो अथवा किया जा रहा हो। ऐसे आदेश में यह सुस्पष्ट किया जायेगा कि कर्मचारी द्वारा अपने नियमित पदीय कार्य के अतिरिक्त किस प्रकृति का कार्य इस क्रम में किया गया। इस आदेश की प्रति संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावेगी।

3. यह सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा कि इस क्रम में देय मानदेय के लिए पात्र कोई भी कर्मचारी इससे वंचित नहीं रहे एवं साथ ही उक्त आदेश/परिपत्र की शर्तों के विपरीत कोई भुगतान भी नहीं उठाया जाये।

4. यह आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.8(1) विधि-2/92 दिनांक 23.2.1991 एवं इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र क्रमांक रालसा/स्था/लोअमा/2012/19826-60, दिनांक 14.3.2012 की निरन्तरता में जारी किया जा रहा है।

आज्ञा से
Sd.
सदस्य सचिव